परीक्षा ● तारीख को लेकर नहीं हुआ खुलासा, कार्रवाई पूर्ण करने में जुटे अधिकारी

मिडिल-हाई स्कूलों में होगी 5वीं-8वीं बोर्ड

खरगोन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। करीब 10 वर्ष बाद हो रही पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। भोपाल स्तर से फिलहाल परीक्षा का टाइम टेबल निर्धारित नहीं होने से विभागीय अधिकारी उलझन में है। फरवरी में 9वीं और 11वीं की परीक्षा होना है। इसके बाद मार्च में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा होगी। इस बीच कक्षा पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा भी कराना है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पांचवीं के लिए माध्यमिक और आठवीं के लिए हाई स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आने वाली धारा-30 के लागू होने के कारण पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं ली जा रही है।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी केके डोंगरे ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र से मिले निर्देशानुसार जिले में संबंधित परीक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है। परीक्षा को लेकर जिला परीक्षा समिति का गठन भी किया गया है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर और उपाध्यक्ष जिला पंचायत सीईओ को बनाया गया है। समिति सचिव जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे। डोंगरे ने बताया कि पांचवीं और आठवीं के परीक्षा परिणामों के साथ ही विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में कमी के कारण बोर्ड पैटर्न दोबारा शुरू कि या गया। इससे विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों में भी शिक्षा के प्रति गंभीरता आएगी।

33 प्रतिशत से कम अंक लाने वालों की दोबारा होगी परीक्षा : डोंगरे ने बताया कि लंबे समय बाद हो रही पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में भय है। इसे दूर करने के लिए स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षा भी आयोजित करवाई जा रही है, ताकि बच्चों में परीक्षा को लेकर डर ना रहे। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण या 33 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन कर दो माह बाद पुन: परीक्षा ली जाएगी। यदि इस परीक्षा में भी उनके परिणामों में सुधार नहीं होता है तो उन्हें उसी कक्षा में रोक लिया जाएगा।

इस प्रकार निर्धारित की जाएगी ग्रेड

प्रतिशत	ग्रेड	स्थिति
75-100 प्रतिशत	ए ग्रेड	उत्कृष्ट
60-75 प्रतिशत से कम	बी ग्रेड	उत्तम
45-60 प्रतिशत से कम	सी ग्रेड	अच्छा
33-45 प्रतिशत से कम	डी ग्रेड	सामान्य
33 प्रतिशत से कम	ई ग्रेड	सुधार योग्य

90 अंक का लिखित और 10 अंक का मौखिक प्रश्नपत्र

डीपीसी ओपी बनडे ने बताया कि प्रश्नपत्र का ब्लूप्रिंट कक्षा और विषयवार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया जाएगा। दोनों कक्षाओं में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक होगा।

इसमें 90 अंक लिखित प्रश्नपत्र और 10 अंक मौखिक प्रश्नपत्र होगा। मौखिक परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएगी। परीक्षा का मूल्यांकन कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ही होगी।

परीक्षा केंद्र का निर्धारिण शाला भवन की क्षमता, बैठक व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, छात्र संख्या आदि को ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र निकट माध्यमिक और हाईस्कूल को बनाया जाएगा।

> पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तारीख का निर्धारण नहीं किया गया है। राज्श शिक्षा केंद्र से मिले निर्देशानुसार विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।
>
> **- केके डोंगरे, जिला शिक्षा अधिकारी, खरगोन**

वसीयत लिखें ही नहीं, उसे रजिस्टर्ड भी कराएं

वसीयत में विशेष रूप से व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं का खुलासा होता है, जिन्हें व्यक्ति खुद की मृत्यु के बाद पूरी होती देखना चाहता है। वसीयत लिखने वाला व्यक्ति इसमें फेरबदल कर सकता है।

वे सभी लोग जिनके पास धन-संपत्ति है, वे वसीयत करा सकते हैं। वसीयत यानी 'विल डाक्यूमेंट्स' एक ऐसा दस्तावेज है जो परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे को क्लीयर करता है। यह वसीयत इतनी पॉवरफुल होती है कि व्यक्ति के जीवित न रहने पर इसमें लिखा सर्वोच्च अदालत भी मान्य करती है।

वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति को वसीयतनामा तैयार करना चाहिए। ऐसा करने से उसके न रहने पर परिवार में शांति बनी रहती है। पारिवारिक विवादों से बचने के लिए 'विल' लिखना न केवल उत्तराधिकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह न तो एजटिल प्रक्रिया है और न ही महंगी। इसलिए कानूनी तौर पर वसीयत लिखना हमेशा बुद्धिमानी का काम होता है, ताकि आपकी धन-संपत्ति आपकी इच्छा के अनुसार आपके वारिसों में बांटी जा सके। संपत्तियों के वितरण में विशेषज्ञों की जरूरत होती है, इसलिए कानूनी सलाह लेना फायदेमंद रहता है। वसीयत के कई प्रकार होते हैं-

किस उम्र में लिखना चाहिए वसीयत

इसकी कोई उम्र निर्धारित नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका हो, वह अपनी वसीयत बना सकता है। इसके अलावा, जिस व्यक्ति का दिमाग ठीक हो, जो दुष्कर्म, धोखाधड़ी, बुरे आचरण, भ्रष्टाचार से मुक्त रहा हो। वैसे, कानूनी सलाहकारों के अनुसार कम उम्र में वसीयत लिखने से आगे चलकर पारिवारिक विवाद नहीं होते। इसके अलावा, वसीयत लिखना तभी ठीक रहता है, जब व्यक्ति के सभी अंग ठीक से काम कर रहे होते हैं।

वकील से बनवाना ठीक रहता है

वसीयत लिखने के लिए किसी वकील का होना जरूरी नहीं है। लेकिन, किसी वकील की मदद लेकर इसे तैयार करते हैं तो फर्जीवाड़े, गलतफहमी या धोखाधड़ी की आशंका कम हो जाती है। ऐसा करने से कोर्ट में वसीयत को गलत साबित करने की आशंका भी नहीं रहती। कानूनी तौर पर टाइप की हुई अथवा हाथ से लिखी गई, दोनों ही वसीयत मान्य हैं।

वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी

आपकी लिखी वसीयत से छेड़छाड़ न हो, इससे बचने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इसके लिए रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के पास जाएं। उनके बताए अनुसार निर्धारित फीस भरें और रजिस्टर करा लें। इसके लिए आपको दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी। यह ध्यान रखें कि गवाह वे ही मान्य हैं, जो आपकी पहचान वाले हों, लेकिन उनका आपकी वसीयत से कोई लेना-देना न हो।

(अन्य जानकारी के लिए विजिट करें- **info.mysabkuch.com**)